तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज वाद सं. 170/2011 बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा व शाश्वत व्यादेश एवं रिकार्ड दुरूस्ती रामेश्वरी देवी आदि बनाम बृजलाल आदि	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
01.04.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण अधिवक्ता उपस्थित नहीं। आवाजें लगाई गयी। हाजिर नहीं है। स्वयं प्रतिवादीगण भी अनुपस्थित है। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस वाद पत्र चाहे अनुतोष अनुसार डिक्री करने के लिए निवेदन किया गया है। बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया।	

वादीगण द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि चक 14 जीबी तहसील श्रीविजयनगर के प.नं. 146/402 मु.नं. 23 कि.नं. 1 ता 25 की 23.10 बीघा भूमि व मु.नं. 74/2 में 10 बिस्वा व 74/4 में 10 बिस्वा कुल 24.10 बीघा भूमि वादीगण के पिता, पति व दादा हनुमान पुत्र धनाराम को पाक विस्थपित होने के कारण पारिवारिक सदस्यों के आधार पर पुनर्वास योजना के तहत आवंटित हुई थी और हनुमान के परिवार के मुखिया होने के कारण रकबा हनुमान अकेले के नाम दर्ज हुआ। मृतक हनुमान के भाई मलूराम–बृजलाल–पतराम–शेराराम भी पाक विस्थापित थे इसलिए उन्हें भी भूमि आवंटित हुई थी। रकबा की समस्त राज रकम हनुमान द्वारा जमा करवाने पर रकबा रिकार्ड में खातेदारी दर्ज हुआ। आवंटन के रोज से ही पारिवारिक सदस्यों का कब्जा काश्त रहा है। रकबा खातेदार हनुमान के देहान्त पश्चात विरास्तन वादीगण के नाम से दर्ज होना चाहिए था। लेकिन पुनर्वास विभाग द्वारा सनद संख्या 3165/88 जारी की गयी जिसमें अन्य आवंटियों के साथ विवादित भूमि को शामिल कर खातेदारी जारी की गयी जबकि हनुमान का रकबा पहले से ही खातेदारी था। उक्त सनद के आधार पर राजस्व रिकार्ड में हनुमान की भूमि को अन्य खातेदारों के साथ एक युनिट मानते हुए संयुक्त खाता में भूमि दर्ज कर दी गयी जबकि हनुमान का रकबा पहले से ही खातेदारी था और अलग आवंटित हुआ था। इसलिए वादीगण रिकार्ड दुरूस्ती करवाकर प्रतिकूल कब्जा के आधार पर विवादित रकबा पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है। वाद वादी स्वीकार कर डिक्री करने कि चक 14 जीबी तहसील श्रीविजयनगर के प.नं. 146/402 मु.नं. 23 की कि.नं. 1 ता 25 की कुल 6.200है. नहरी मय खाला भूमि पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की घोषणा, सनद में से विवादित भूमि के अंकन को विलोपित करने, प्रतिकूल कब्जा के आधार पर वादीगण को खातेदार घोषित करने, मुताबिक डिक्री रिकार्ड में दुरूस्ती करने एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित करने हेतु निवेदन किया।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रतिकूल कब्जा के आधार पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार वादीगण को प्रदान नहीं किये जा सकते है। इसलिए वादीगण की यह प्रार्थना अस्वीकार की जाती है। सनद दुरूस्ती हेतु भी वादीगण सक्षम प्राधिकारी के समक्ष चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है इसलिए वादीगण की यह प्रार्थना भी अस्वीकार की जाती है। वादीगण के द्वारा उक्त के अतिरिक्त रिकार्ड दुरूस्ती कर खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित करने का [illegible] गया है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत जमाबंदी संवत [illegible] संवत 2016 से 2019 चक 14 जीबी के मु.नं. 23 की भूमि [illegible] नाम से सिकूजी दर्ज है। भू प्रबन्ध विभाग की जमाबंदी [illegible] 2046 में भूमि हनुमान के नाम से खातेदार दर्ज है। नामान्तरण संख्या 9 चक 14 जीबी दिनांक 23.07.1988 का अवलोकन करने पर पाया है कि जिला पुनर्वास अधिकारी श्रीगंगानगर की सनद के आधार पर खाता सं. 24, 55, 61 व 64 की भूमि का नामान्तरण संयुक्त रूप से दर्ज करते

उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री विजयनगर

शकुंतला
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:28:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज वाद सं. 170/2011 बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा व शाश्वत व्यादेश एवं रिकार्ड दुरूस्ती रामेश्वरी देवी आदि बनाम बृजलाल आदि	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये

हुए भूमि खातेदारी दर्ज कर दी गयी। जिसमें खाता सं. 64 में मु.नं. 23 की कुल 6.200है. भूमि हनुमान के नाम की है, जो कि पूर्व की जमाबंदीयों में पहले से ही खातेदार दर्ज चली आ रही थी। हनुमान के नाम की खातेदारी भूमि को सनद के आधार पर अन्य के साथ पुनः खातेदारी के रूप में दर्ज करते हुए संयुक्त रूप से दर्ज कर दिया गया जबकि हनुमान की भूमि तो पहले से ही अलग खाता में खातेदारी दर्ज थी। ऐसी स्थिति में रिकार्ड दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत है।

भूमि नामान्तरण संख्या 9 चक 14 जीबी दिनांक 23.07.1988 के द्वारा सनद आधार पर संयुक्त रूप से नाथी बाई बेवा धना राम, शेराराम, रामनारायन, मलूराम, निहालचन्द, पतराम, हनुमान बृजलाल पि. धनाराम के नाम से खातेदार दर्ज की गयी है जो वर्तमान रिकार्ड में वारिसान के नाम से दर्ज चली आ रही है। ऐसे में यदि पूर्व में हनुमान के नाम की भूमि 6.200है. को वादीगण के नाम से पृथक खाता में दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है तो शेष सह खातेदारान प्रतिवादीगण के हिस्सा पर भी असर होगा तथा उनके हिस्से से भूमि कम होगी। ऐसी स्थिति में नामान्तरण सं. 9 दिनांक 23.07.1988 की स्थिति अनुसार रिकार्ड दुरूस्त करते हुए वर्तमान वारिसान के नाम से उनके हिस्सानुसार भूमि दर्ज करने के आदेश पारित किया जाना न्यायोचित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए डिक्री किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि : "तहसीलदार श्रीविजयनगर को आदेश दिया जाता है कि चक 14 जीबी नामान्तरण संख्या 9 दिनांक 23.07.1988 के होने से पूर्व की स्थिति में हनुमान के नाम दर्ज मु.नं. 23 की 6.200है. भूमि संयुक्त खाता से पृथक करते हुए वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज हनुमान के वारिसान के नाम से खातेदारी दर्ज की जावे तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज अन्य सह खातेदारान का अनुपातिक रूप से हिस्सा कम किया जावे।" पर्चा डिक्री जारी हो। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

शकुन्तला
शकुंतला M.S.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:28:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्तदाइ
(आदेश 20 रूल 6–7 जाब्ता : दीवानी)

C/VIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीविजयनगर
बईजलास शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 170/2011
जीसीएमएस न. : 201/00005

रामेश्वरी देवी आदि बनाम बृजलाल आदि

दावा बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा व शाश्वत व्यादेश एवं रिकार्ड दुरूस्ती

दिनांक:–01.04.2025

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश पुरी की उपस्थिति में वाद के आज अन्तिम निपटारे हेतु पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

"वाद पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए डिक्री किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि : "तहसीलदार श्रीविजयनगर को आदेश दिया जाता है कि चक 14 जीबी नामान्तरण संख्या 9 दिनांक 23.07.1988 के होने से पूर्व की स्थिति में हनुमान के नाम दर्ज मु.नं. 23 की 6.200है. भूमि संयुक्त खाता से पृथक करते हुए वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज हनुमान के वारिसान के नाम से खातेदारी दर्ज की जावे तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज अन्य सह खातेदारान का अनुपातिक रूप से हिस्सा कम किया जावे।"

डिक्री आज दिनांक 01.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

शकुन्तला
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प डयूटी	2	7.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	2
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	1	8.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प..... रूपये पर प्लीडर की फीस	1	9.प्लीडर की फीस	
4.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	1	10.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	
5.कमिश्नर की फीस		11.आदेशिका की तामील	1
6.आदेशिका की तामील		12-कमिश्नर की फीस	
जोड़	5	जोड़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:28:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner